रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)
मध्य प्रदेश शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक 05/26/04/16669/23

यह प्रमाणित किया जाता है कि **नव स्नेहल ग्रामीण विकास समिति**,सोसायटी जो **मकान न० 15 वार्ड न० 01,ग्राम सहिजना (उबारी) पोस्ट _भटनवारा** तहसील उचेहरा जिला **सतना** में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) की धारा के अधीन तारीख **31 मई 2023** को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

दिनांक 31 मई 2023

सोसायटियों के रजिस्ट्रार

Signature Not Verified
Signed by: Assistant Registrar
on 31-05-2023 17:07:19

Note : This is a Digitally Signed document On 31/05/2023 02:18 PM Server Name : NARMADA

NGO Darpan

Ministry of Statistics and Programme Implementaion

Home

NGO Details

ID	MP/2023/0358622	**Name**	NAV SNEHAL GRAMIN VIKAS SAMITI	**Registration No**	05/26/04/16669/23
Reg. Date	2023-05-31	**Contact Name**	Barunendra Singh	**Designation**	Treasurer
Act Name	1973			**Best Practices**	Education Health care women empowerment
Reg. multiple					

FCRA Registered?	N	**FCRA Reg No**	
FCRA Reg Date	0000-00-00	**Valid upto**	0000-00-00

Address	H.NO.,WARD NO. 01 ,Gram Sahijana ,post bhatanwara ,Teh. Uchehara			**City**	Satna
District	Satna	**State**	MADHYA PRADESH	**Pin Code**	485001
State Registered	MADHYA PRADESH	**City Reg.**	Satna		
Off. Phone		**Res. Phone**		**Mobile**	9584460821
Email	navsnehalgraminvikassamiti@gmail.com	**Website**			

PAN	A********L	**PAN Status**	**Verified**

Activities in Districts

Satna

Working Areas

Agriculture, Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Art & Culture, Children, Civic Issues, Dalit Upliftment, Drinking Water, Education & Literacy, Environment & Forests, Food Processing, Health & Family Welfare, Housing, Human Rights, Information & Communication Technology, Labour & Employment, Legal Awareness & Aid, Micro Small & Medium Enterprises, Panchayati Raj, Rural Development & Poverty Alleviation, Science & Technology, Sports

List of Members

Total No of Members: 3, Total Aadhar Verified: 3, Total PAN Verified: 3

Name	Designation	Aadhar No	Aadhar Verified?	PAN	PAN Verified?	Email ID	Last Updated on
Sarita Singh	President	5**********8	**Verified**	C********C	**Verified**	singharun032@gmail.com	15-09-2023 12:46:08
Vikhyat Singh	Secretary	5**********3	**Verified**	B********J	**Verified**	mba.singh1983@gmail.com	15-09-2023 12:49:11
Barunendra Singh	Treasurer	4**********6	**Verified**	C********E	**Verified**	barunendrasingh@gmail.com	15-09-2023 12:52:08

Design and Developed by NIC-Cell, MoSPI

11

जावक क्र. 623/23
जावक दिनांक 21/09/2023

प्रारूप - सात

(नियमें 11 देखिये)

मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1973 (क्र. 44 सन1973) की 27 धारा के अधीन शासी निकाय की सूची की ज प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम, पूरा पता, मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी - नव स्नेहल ग्रामीण विकास समिति, मकान न॰ 15 वार्ड न 01ग्राम सहिजना (उबारी) पोस्ट भटनवारा तहसील उचेहरा जिला सतना(मध्यप्रदेश), navsnehalgraminvikassamiti@gmail.com, 9713278201

2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख पंजीयन संख्या रीवा संभाग - 16669 तारीख – 31/05/2023

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख – 20/06/2023

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख 02/06/2023 से 01/06/2026 तक

अनुक्रमांक	नाम ,पिता/ पति का नाम	पता	मोबाइल नंबर	धारित पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्रीमती सरिता सिंह ,पति_ श्री अरुणेंद्र सिंह	64 वृंदावन धाम इंदौर बाई पास रोड उज्जैन (म.प्र)	9926361110	अध्यक्ष	ग्रहणी	[signature]
2	श्री अशोक सिंह , पिता _श्री राम प्रसाद सिंह	वार्ड 04 ग्राम सहिजना उबारी भटनवारा सतना(म.प्र)	7354168363	उपाध्यक्ष	कृषि	अशोक सिंह
3	श्री विख्यात सिंह ,पिता_ श्री शिव पाल सिंह	वार्ड न॰30सहैजना भवन साई बाबा मंदिर के पास धवारी रघुराजनगर सतना (म.प्र)	7415236908	सचिव	व्यापार	[signature]
4	श्री बलमेंद्र सिंह, पिता श्री राम करण सिंह	वार्ड न॰ 5 ग्राम सहिजना उबारी पोस्ट भटनवारा सतना(म.प्र)	7582872991	सहसचिव	व्यापार	[signature]
5	श्री बरून्रेंद्र सिंह, पिता_ श्री काशी प्रसाद सिंह	ग्राम सहिजना पोस्ट भटनवारा सतना(म.प्र)	9713278201	कोषाधक्ष	सर्विस	[signature]
6	श्री अभय सिंह पटेल, पिता_ श्री कमलेश सिंह	ग्राम सहिजना उबारी रघुराजनगर सतना	9713964895	सदस्य	सर्विस	[signature]

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

7	श्री दीपेंद्र सिंह ,पिता_ श्री कमलेश सिंह	सहिजना उबारी कोठर सतना (म.प्र)	9584470123	सदस्य	कृषि	Singh

5. मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1973 (क्र 44 सन1973) की धारा 27 के अधीन रु 1000 की वार्षिक फीस , ऑनलाइन चलान दिनांक 07/07/2023 के माध्यम से जमा कर दी गई है , उसकी प्रति संलग्न है चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN) SBIN0006159147507072023047455 है।

घोषणा

मैं श्रीमती सरिता सिंह, पुत्र /पुत्री /पत्नी , पति श्री अरुणेंद्र सिंह आयु लगभग 39 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतदद्वारा घोषणा करता /करती हू कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से मेरी श्रेष्टतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जनता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं अधिनियम कि धरा 38 कि उपधारा (2) के अधीन दण्ड का/की दायी रहूँगा/रहूंगी।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

14/9/23

(ए. के. पंडित)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ
रीवा-शहडोल संभाग, रीवा (म०प्र०)

हस्ताक्षर ....

नाम_ श्रीमती सरिता सिंह

पदनाम (अध्यक्ष /सचिव) अध्यक्ष

मोब.नम्बर 9713278201

इ-मेल आई.डी navsnehalgraminvikassamiti@gmail.com,

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01013211072023004431
Total E-Stamp Amount	100
Govt. Stamp Duty (Rs.)	100
Janpad Duty (Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	11/07/2023 12:16:06
Service Provider or Issuer Details	PRAKASH SHUKLA/SP013441112201800022
SP/SRO/DRO/HO Details	811/3 R.PURAM JP ROAD BAGHA RAGHURAJNAGAR SATNA

Deed Details

Deed Type	Copy or Extract
Deed Instrument	Copy or Extract, certified to be a true copy or extract by or order of an public officer under section 76 of the Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees- One hundred rupees.
Purpose	SOCIETY BIOLOGY

First Party Details

Organization Name	FIRM AND SOCIETY OFFICE REWA
Address	REWA REWA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	NAV SNEHAL GRAMIN VIKAS SAMITI
Address	MAKAN NO 15 WARD NO 01 GRAM SAHIJNA (UBARI)POST BHATNAWARA TEHSIL UNCHEHARA SATNA SATNA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

संस्था नव स्नेहल ग्रामीण विकास समिति सतना पंजीयन क्रमांक 16669 दिनांक 31/05/2023 के नाम से दिनांक को प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 11/07/2023 को आवेदक श्रीमती सरिता सिंह (अध्यक्ष) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। कार्यालय द्वारा धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि जारी की गई है धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता से संबंधित प्रमाण पत्र/आदेश नहीं है।

14/9/23
(ए. के. पंडित)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ
रीवा-शहडोल संभाग, रीवा (म०प्र०)

Digitally signed by
PRAKASH SHUKLA
Date: 2023.07.11 12:16:09
IST

जावक क्र. 527/23
जावक दिनांक 04/05/2023

प्रारूप-1

(नियम 3 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

आवेदन क्रमांक : S7460408638917052023

अनुमोदन दिनांक : 30 May 2023

1.	सोसायटी का नाम नव स्नेहल ग्रामीण विकास समिति होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक मकान न० 15 वार्ड न० 01,ग्राम सहिजना (उबारी) पोस्ट _भटनवारा 485001 तहसील Uchehra जिला Satna मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9713278201 ईमेल आईडी navjagratigraminvikassamiti@gmail.com
3.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1	खेल एवं योग से संबंधित समस्त क्रियाकलापों को संचालित करना।
2	योगा स्कूल खोलना। योगा का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को प्रमाण पत्र देना।
3	ध्यान-योग, प्राणायाम प्रशिक्षकों का समय-समय पर सम्मान करना।
4	योग, सूर्य नमस्कार को बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना
5	योग, वैदिक योग, ध्यान केन्द्रों का संचालन करना। लोगों को योग के महत्व को समझाना। जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। निर्धन, बेसहारा, उपेक्षित खेल एवं योग प्रशिक्षकों एवं उनके परिवारों को हर संभव मदद करना।
6	नृत्य का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
7	पतंगबाजी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
8	रस्सी कूद का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
9	जूडो, कराते, जूडो-कराते, किक-बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, ताइक्वांडो का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेलों हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
10	शतरंज का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
11	घुड़सवारी तथा रथसवारी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेलों हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
12	निशानेबाजी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
13	तैराकी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
14	तलवारबाजी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
15	भाला फेंक, गोला फेंक, चकरी फेंक का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेलों हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
16	तीरंदाजी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
17	खो-खो का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
18	कबड्डी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
19	मलखम्ब, कसरत, भारोत्तोलन का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेलों हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
20	टेनिस का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
21	टेबल टेनिस का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
22	वॉल बैडमिंटन का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
23	बैस-बॉल का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
24	क्रिकेट का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
25	बैडमिंटन का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
26	हॉकी का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
27	कुश्ती का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
28	तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। साथ ही तकनीकी शिक्षा में योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
29	प्राकृतिक, जीव विज्ञान एवं चिकित्सा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। साथ ही नर्सिंग, पैरामेडीकल, प्राकृतिक, वैदिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एलोपैथिक चिकित्सा की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
30	व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित करना तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी सेवाऐं प्रदान करने में सहयोग करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार ... रीवा संभाग

31	सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं समाज के गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
32	स्कूलों, कॉलेजों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों जैसे- साक्षरता केन्द्र, संस्कार शिक्षा केन्द्र का संचालन करना।
33	बेरोजगार नवयुवकों एवं युवतियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों का संचालन और रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सुविधा मुहैया कराना।
34	साहित्य, कला, संगीत से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना।
35	औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
36	कृषि, ऊर्जा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु नई तकनीकी का विकास एवं तत्संबंधी विकास एवं प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
37	वनस्पति एवं कृषि विज्ञान की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
38	ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवकों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, योजनाओं का संचालन करना।
39	नशामुक्ति तथा एड्स संबंधी जानकारी प्रदान करना तथा केन्द्र स्थापित करना।
40	बच्चों के विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करना तथा पल्स पोलियो कार्यक्रम में भी भाग लेना।
41	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन करना।
42	दहेज प्रथा, बालविवाह,भ्रूण हत्या जैसे दुष्कृत्यों से समाज को अवगत कराना तथा उन्हें दूर करने हेतु सकारात्मक प्रयास करना।
43	लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु योजनाओं का संचालन करना एवं आवश्यकता अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना व उसका प्रबंध संचालन करना।
44	समाज में होने वाली सामाजिक बुराईयों को दूर करना एवं समाज के गरीब एवं शोषित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनका सर्वांगीण विकास करना |
45	महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।
46	महिला बाल विकास के माध्यम से रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाना।
47	बाल आश्रम तथा भिक्षावृत्ति की रोकथाम व विकलांग, मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
48	कौशल विकास केन्द्रों एवं ट्रेनिंग सेन्टर्स की स्थापना व संचालन करना।
49	ऊर्जा के क्षेत्र व जल संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
50	राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।
51	कपास से धागा बनाना, धागे से कपड़ा एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने का तकनीकी प्रशिक्षण तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर व रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु प्रशिक्षण देना।
52	हाथ करघा उद्योग द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओ का प्रचार-प्रसार करना एवं हाथ करघा उद्योग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना।
53	ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित माल, जिसमें खादी तथा ग्राम उद्योग भी सम्मिलित है, के प्रचार-प्रसार का प्रयास करना।
54	शौचालय बनवाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं समग्र स्वच्छता के कार्यक्रमों का संचालन करना।
55	हथकरघा एवं हस्तशिल्प, रंगाई छपाई, खादी, कुटीर उद्योगो को बढावा देना।

4.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है। हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, पते, व्यवसाय एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं, पूर्वोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और साक्षी की उपस्थिति में हमने ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद, समिति या शासी निकाय को सोसायटी के सदस्यों के बीच न्यस्त किया गया है जो नीचे विनिर्दिष्ट है-

अनुक्रमांक (1)	पिता/ पति के नाम के साथ हस्ताक्षर करने वालों के नाम (2)	पूरा पता (3)	जन्मतिथि/ आयु (4)	मोबाइल नंबर (5)	उपजीविका (6)	तदर्थ शासी निकाय में पद धारित करने की दशा में पदनाम (7)	हस्ताक्षर (8)
1	Sarita Singh / Arunendra Singh	64 ,vrindavan dham indoer bai pas road, ujjain, Indore, Indore, Madhya Pradesh	01/01/1983	9926361110	House wife	अध्यक्ष	Signature valid Signed by Adhyaksh on 30-05-2023 16:09:10

2	Ashok Singh / Ram Prasad Singh	ward 04 ,gram sahjana ubari,bhatanwara, satna, Uchehra, Satna, Madhya Pradesh	08/01/1993	7354168363	Agricultural	उपाध्यक्ष	Signature valid Signed by: UpAdhyaksh on 30-05-2023 16:11:17
3	Vikhyat Singh / Shiv Pal Singh	ward no. 30 sahaijana bhavan near sai baba mandir, dhawari raghurajnagar, Raghurajnagr, Satna, Madhya Pradesh	07/08/1983	7415236908	Business	सचिव	Signature valid Signed by: Sachiv on 30-05-2023 16:13:03
4	Barunendra Singh / Kashi Prasad Singh	87K,Dhavari radakrishna ward no.32 mahadeva road, h no. 1 to 164 satna, Raghurajnagr, Satna, Madhya Pradesh	01/05/1982	9713278201	Job	कोषाध्यक्ष	Signature valid Signed by: kosha Adhyaksha on 30-05-2023 16:14:53
5	Balmendra Singh / Ram Karan Singh	ward no.05 gram sahijana ubari,post bhatanwara, satna, Uchehra, Satna, Madhya Pradesh	05/10/1994	7582872991	Agricultural	संयुक्त सचिव	Signature valid Signed by: sanyukt sachiv on 30-05-2023 16:16:07
6	Abhay Singh Patel / Kamlesh Singh	88,village sahijana ubari, raghurajnagar, satna, Uchehra, Satna, Madhya Pradesh	01/01/1993	9713964895	Agricultural	सदस्य	Signature valid Signed by: sadasya on 30-05-2023 16:17:42
7	Deependra Singh / Kamlesh Singh	09 sahijana ubari ,sahijana kothar, satna, Uchehra, Satna, Madhya Pradesh	04/01/1995	9584470123	Business	सदस्य	Signature valid Signed by: sadasya on 30-05-2023 16:24:25

सोसायटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक SBIN0006159147517052023726845

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Voters Identity Card — पहचान पत्र का क्रमांक YRT1873397

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card — पते का क्रमांक YRT1873397

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

Signature valid

Signed by: Witness on
30-05-2023 16:32:17

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-..................................

साक्षी का नाम :- Jaypal Singh

साक्षी का पिता/पति:- Ram Karan Singh

पूर्ण पता :- 27,semri kurmahai, satna , M.P 485001

साक्षी का मोबाइल नंबर :- 9977763538

साक्षी का ईमेल आईडी :- singhjaypal1986@gmail.com

☑ हम सत्यापित करते हैं।

सोसायटी के पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शी बिन्दु

1. ज्ञापन पत्र में निर्धारित स्थान पर समस्त निर्माणकर्ताओं एवं साक्षी के हस्ताक्षर/E-Sign यथा स्थान होना चाहिये।

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं

T.C.
22/08/23

(ए. के. पंडित)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ
रीवा-शहडोल संभाग, रीवा (म०प्र०)

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01013211072023004228
Total E-Stamp Amount	100
Govt. Stamp Duty (Rs.)	100
Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	11/07/2023 12:10:55
Service Provider or Issuer Details	PRAKASH SHUKLA/SP013441112201800022
SP/SRO/DRO/HO Details	811/3 R.PURAM JP ROAD BAGHA RAGHURAJNAGAR SATNA

Deed Details

Deed Type	Copy or Extract
Deed Instrument	Copy or Extract, certified to be a true copy or extract by or order of an public officer under section 76 of the Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees- One hundred rupees.
Purpose	SOCIETY BIOLOGY

First Party Details

Organization Name	FIRM AND SOCIETY OFFICE REWA
Address	REWA REWA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	NAV SNEHAL GRAMIN VIKAS SAMITI
Address	MAKAN NO 15 WARD NO 01 GRAM SAHIJNA (UBARI) POST BHATNAWARA TAHSIL UNCHEHARA SATNA SATNA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं ... रीवा

(ए. के. पंडित)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ
रीवा-शहडोल संभाग, रीवा (म०प्र०)

Digitally signed by
PRAKASH SHUKLA
Date: 2023.07.11 12:11:26
IST

जावक क्र. 527/23
जावक दिनांक 04/09/2023

प्ररूप-1क
(नियम 3 देखिए)
(सोसायटी की उप-विधियां)

आवेदन क्रमांक : S7460408638917052023 | **अनुमोदन दिनाँक : 30 May 2023**

1.	सोसायटी का नाम नव स्नेहल ग्रामीण विकास समिति होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक मकान न० 15 वार्ड न० 01,ग्राम सहिजना (उबारी) पोस्ट _भटनवारा 485001 तहसील उचेहरा जिला सतना मध्य प्रदेश में स्थित होगा। मोबाईल क्रमांक(अध्यक्ष/सचिव) 9713278201 एवं ईमेल आईडी navjagratigraminvikassamiti@gmail.com
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा।
4.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः-

1	खेल एवं योग से संबंधित समस्त क्रियाकलापों को संचालित करना।
2	योगा स्कूल खोलना। योगा का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को प्रमाण पत्र देना।
3	ध्यान-योग, प्राणायाम प्रशिक्षकों का समय-समय पर सम्मान करना।
4	योग, सूर्य नमस्कार को बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना
5	योग, वैदिक योग, ध्यान केन्द्रों का संचालन करना। लोगों को योग के महत्व को समझाना। जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। निर्धन, बेसहारा, उपेक्षित खेल एवं योग प्रशिक्षकों एवं उनके परिवारों को हर संभव मदद करना।
6	नृत्य का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
7	पतंगबाजी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
8	रस्सी कूद का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
9	जूडो, कराते, जूडो-कराते, किक-बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, ताइक्वांडो का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेलों हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
10	शतरंज का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
11	घुड़सवारी तथा रथसवारी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेलों हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
12	निशानेबाजी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
13	तैराकी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
14	तलवारबाजी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
15	भाला फेंक, गोला फेंक, चकरी फेंक का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेलों हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
16	तीरंदाजी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
17	खो-खो का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
18	कबड्डी का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
19	मलखम्ब, कसरत, भारोत्तोलन का शिक्षण-प्रशिक्षण देना व उक्त खेलों हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।
20	टेनिस का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
21	टेबल टेनिस का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
22	बॉल बैडमिंटन का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
23	बैस-बॉल का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
24	क्रिकेट का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
25	बैडमिंटन का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
26	हॉकी का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
27	कुश्ती का प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
28	तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। साथ ही तकनीकी शिक्षा में योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

29	प्राकृतिक, जीव विज्ञान एवं चिकित्सा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। साथ ही नर्सिंग, पैरामेडीकल, प्राकृतिक, वैदिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एलोपैथिक चिकित्सा की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
30	व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित करना तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी सेवाऐं प्रदान करने में सहयोग करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
31	सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं समाज के गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
32	स्कूलों, कॉलेजों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों जैसे- साक्षरता केन्द्र, संस्कार शिक्षा केन्द्र का संचालन करना।
33	बेरोजगार नवयुवकों एवं युवतियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों का संचालन और रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सुविधा मुहैया कराना।
34	साहित्य, कला, संगीत से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना।
35	औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
36	कृषि, ऊर्जा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु नई तकनीकी का विकास एवं तत्संबंधी विकास एवं प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
37	वनस्पति एवं कृषि विज्ञान की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
38	ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवकों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, योजनाओं का संचालन करना।
39	नशामुक्ति तथा एड्स संबंधी जानकारी प्रदान करना तथा केन्द्र स्थापित करना।
40	बच्चों के विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करना तथा पल्स पोलियो कार्यक्रम में भी भाग लेना।
41	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन करना।
42	दहेज प्रथा, बालविवाह,भ्रूण हत्या जैसे दुष्कृत्यों से समाज को अवगत कराना तथा उन्हें दूर करने हेतु सकारात्मक प्रयास करना।
43	लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु योजनाओं का संचालन करना एवं आवश्यकता अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना व उसका प्रबंध संचालन करना।
44	समाज में होने वाली सामाजिक बुराईयों को दूर करना एवं समाज के गरीब एवं शोषित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनका सर्वांगीण विकास करना।
45	महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
46	महिला बाल विकास के माध्यम से रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाना।
47	बाल आश्रम तथा भिक्षावृत्ति की रोकथाम व विकलांग, मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
48	कौशल विकास केन्द्रों एवं ट्रेनिंग सेन्टर्स की स्थापना व संचालन करना।
49	ऊर्जा के क्षेत्र व जल संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
50	राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।
51	कपास से धागा बनाना, धागे से कपड़ा एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने का तकनीकी प्रशिक्षण तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर व रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु प्रशिक्षण देना।
52	हाथ करघा उद्योग द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओ का प्रचार-प्रसार करना एवं हाथ करघा उद्योग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना।
53	ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित माल, जिसमें खादी तथा ग्राम उद्योग भी सम्मिलित है, के प्रचार-प्रसार का प्रयास करना।
54	शौचालय बनवाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं समग्र स्वच्छता के कार्यक्रमों का संचालन करना।
55	हथकरघा एवं हस्तशिल्प, रंगाई छपाई, खादी, कुटीर उद्योगो को बढावा देना।

5. **सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-**

(क) **संरक्षक सदस्यः** वह व्यक्ति जो रूपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर 12 किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ख) **आजीवन सदस्य** वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा।

(ग) **साधारण सदस्य:** वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान का भुगतान करता है।

(घ) **मानद सदस्य-** सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, किन्तु वे मतदान के लिए हकदार नहीं होंगे।

6. **सदस्यता की करना-**प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, उसे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।

S7460408638917052023

7. **सदस्यता के लिए अर्हता-** सोसायटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य है:-
1. आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
2. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
3. उसे सोसायटी के नियमों में विश्वास हो तथा वह उनका अनुसार करता हो ।
4.सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति-** सोसायटी की सदस्यता निम्नलिख़ित में से किसी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:-
1. मृत्यु हो जाने पर|
2. पागल हो जाने पर|
3. नियम 5 के अनुसार सोसायटी की सदस्यता का अंशदांन जमा करने में असफल रहने पर |
4. त्याग पत्र देने पर, यदि स्वीकृत हो जाता है तो |
5.कोई सिद्ध नैतिक अधमता और प्रबंधकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा निष्कासन से संबंधित निर्णय। ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

9. **सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी:-**
1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उपजीविका तथा तारीख सहित हस्ताक्षर
2.रसीद क्रमांक के साथ सदस्यों के प्रवेश की तारीख |
3.सदस्यता की समाप्ति की तारीख।

10. **(क) साधारण सम्मिलन-** ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 के अधीन दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संसूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।
(ख)प्रबंधकारिणी समिति- प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए पूर्वसूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।

11. **साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व-**
एक. पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना ।
दो. सोसायटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना ।
तीन. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना।
चार. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाया जाए।
पांच. सोसायटी के अधीन चल रहे संगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना।
छ. वार्षिक बजट अनुमोदित करना।

12. **प्रबंधकारिणी समिति का गठन-** ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे :-
(1)अध्यक्ष 1,(2)उपाध्यक्ष 1,(3)सचिव 1,(4)कोपाध्यक्ष 1,(5)संयुक्त सचिव 1,(6)सदस्य 2

13. **प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल:** प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

14. **प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व-**
(क) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है।
(ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना।
(ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना ।
(घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद/ शिक्षकों की नियुक्ति करना ।
(ड.) ऐसे आवश्यक कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।
(च) कोई स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी ।
(छ) सोसायटी की उप-विधियों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सम्मिलन के समक्ष रखा जाएगा। संशोधनों के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसे विहित प्ररूप में अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त सम्मिलन तथा साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

17. **सचिव के अधिकार-**
(क) जब कभी भी आवश्यक हो, साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना ।
(ख) आय तथा व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना।
(ग) सोसायटी के समस्त कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सूचना के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए ।
(घ) सचिव, एक समय में रू. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** सोसायटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।

20. **बैंक खाता-** सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाएगा। दैनिक खर्चे के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 5000/- रहेंगे।

21.	रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे, प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
22.	विघटन- सोसायटी द्वारा, उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया, यदि अधिनियम के उपबंधों के अनुक्रम हो तो निष्पादित की जाएगी।
23.	सम्पत्ति- समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।

हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसायटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
Signature valid Signed by: Adhyaksh/Member on 30-05-2023 15:26:31	Signature valid Signed by: Sachiv/Member on 30-05-2023 16:05:20	Signature valid Signed by: kosha Adhyaksha/Member on 30-05-2023 16:07:33
अध्यक्ष / सदस्य	सचिव / सदस्य	कोषाध्यक्ष / सदस्य

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग रीवा

T.C.

(ए. के. पंडित) 22/08/23
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाऐं
रीवा-शहडोल संभाग, रीवा (म०प्र०)

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01013211072023004305		
Total E-Stamp Amount	100		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	100	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	11/07/2023 12:12:58		
Service Provider or Issuer Details	PRAKASH SHUKLA/SP01344111220180022		
SP/SRO/DRO/HO Details	811/3 R.PURAM JP ROAD BAGHA RAGHURAJNAGAR SATNA		

Deed Details

Deed Type	Copy or Extract
Deed Instrument	Copy or Extract, certified to be a true copy or extract by or order of an public officer under section 76 of the Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees- One hundred rupees.
Purpose	DHARA 27 KI SUCHI

First Party Details

Organization Name	FIRM AND SOCIETY OFFICE REWA
Address	REWA REWA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	NAV SNEHAL GRAMIN VIKAS SAMITI
Address	MAKAN NO 15 WARD NO 01 GRAM SAHIJNA (UBARI) POST BHATNAWARA TAHSIL UNCHEHARA SATNA SATNA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

नव स्नेहल ग्रामीण विकास समिति सतना जिसका पंजीयन क्रमांक 16669 दिनांक 31/05/2023 नियमावली की सूची संलग्न है।

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग रीवा

23/08/23

(ए. के. पंडित)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
रीवा-शहडोल संभाग, रीवा (म०प्र०)

Digitally signed by
PRAKASH SHUKLA
Date: 2023.07.11 12:13:01
IST

01013211072023004305